प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भगाराम पुत्र चेनाराम जाति देवासी रॉयल इन्फोटेक,महावीर मार्केट रामसीन		राज्य लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार रामसीन
प्रकरण अपील		20/2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

08.10.2018	अपीलांट व रेस्पोडेन्टस अनुपस्थित। उप तहसीलदार रामसीन का जवाब प्राप्त हुआ तथा तहसीलदार जसवंतपुरा का जवाब जरिए ई मेल से प्राप्त हुआ। उप तहसीलदार रामसीन व तहसीलदार जसवंतपुरा ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 की सूचना जरिए पत्रांक/722 दिनांक 07.09.2018 को तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिए पत्रांक/स्था/159-160 दिनांक 01.10.2018 को भिजवाई गई है। अत: अपील निरस्त करावे। हमने उप तहसीलदार रामसीन व तहसीलदार जसवंतपुरा के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 863966 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2018 के द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा अपीलांट को जरिए पत्रांक/722 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा व बिन्दु संख्या 2 की सूचना उप तहसीलदार रामसीन द्वारा जरिए पत्रांक/स्था/159-160 दिनांक 01.10.2018 भिजवाई जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। सही- **(बी.एल.कोठारी)** प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	